न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारी :— जय प्रकाश (आर.ए.एस.)

पत्रावली संख्या—11/2018 प्रार्थना पत्र जागीर

सुरेन्द्र गोस्वामी पुत्र स्व. श्री महन्त गोस्वामी गोपाल लाल देव जाति गोस्वामी निवासी वार्ड नम्बर 16, गोपीनाथजी का मन्दिर, सुभाष चौक, सीकर

प्रार्थी

बनाम

हर आम व खास

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत प्रपत्र 12 ए संशोधित किये जाने ।

वकील प्रार्थी श्री महेश कुमार मिश्रा

निर्णय **दिनांकः— 10.01.2019**

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि सीकर शहर के वार्ड नम्बर 16, सुभाष चौक में कई वर्षो से प्रसिद्व गोपीनाथजी का मन्दिर अवस्थित है। इस मन्दिर की पूजा पूर्व पुजारी स्व0 महन्त गोस्वामी गोपाल लाल देव करते आ रहे थे। जो मन्दिर की पूजा अर्चना भोग आदि की व्यवस्था व सेवा आदि करते थे। जिनकी मृत्यु दिनांक 10.06.2018 को हो चुकी है। जिनको देव स्थान विभाग उदयपुर द्वारा 3863/—रूपये मिलते थे। स्व0 महन्त गोस्वामी गोपाल लाल देव की मृत्यु के पश्चात मन्दिर की सेवा पूजा करने का कार्य सुरेन्द्र गोस्वामी ही कर रहा है। तथा उनके पश्चात् मन्दिर श्री गोपीनाथजी की सेवा पूजा व भोग प्रार्थी द्वारा ही चढ़ाया जा रहा है। अतः प्रार्थी के नाम प्रपत्र 12ए जारी किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर उज्रदारी नोटिस एक माह का जारी किया गया। नोटिस पर किसी प्रकार का ऐतराज नही आया तथा प्रार्थी की ओर से वकील श्री महेशकुमार मिश्रा ने वकालतनामा पेश किया तथा साक्ष्य के रुप में प्रार्थी सुरेन्द्र गोस्वामी ने स्वयं का शपथ पत्र व श्री विष्णु सेवदा पुत्र श्री शोभाराम शर्मा निवासी वार्ड नं. 16, सीकर एवं श्री जुगल शर्मा पुत्र श्री मोहनलाल शर्मा निवासी चांदपोल गेट के बाहर, सीकर के शपथ पत्र पेश कर अंकित किया गया है कि उक्त मन्दिर की सेवा पूजा का कार्य प्रार्थी सुरेन्द्र गोस्वामी द्वारा किया जा रहा है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रपत्र 12बी की फोटो प्रति पेश की, जिसके दावा संख्या एफ 4(57)जेपी/सीकर में मन्दिर श्री गोपीनाथजी पुजारी श्री गोस्वामी गोपाल लाल देव अंकित है। विधायक विधानसभा, सीकर द्वारा दिनांक 10.09.2018 को जारी वारिस प्रमाण पत्र भी पत्रावली पर उपलब्ध है। रूचिका जोशी, पार्षद, वार्ड नं. 16 सीकर द्वारा जारी प्रमाण पत्र में मंदिर की सेवा पूजा श्री सुरेन्द्र गोस्वामी द्वारा करना बताया है। उक्त प्रार्थी के अलावा मन्दिर की सेवा पूजा और कोई व्यक्ति नहीं करता है। बहस सुनी गई।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उज्रदारी नोटिस जारी किये जाने के पश्चात किसी भी प्रकार की आपति नही आई है। तहसीलदार सीकर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 26.10.2018 में मृतक पुजारी गोपाल लाल गोस्वामी के वारिसान की जांच रिपोर्ट में प्रार्थी सुरेन्द्र गोस्वामी मृतक का वारिस होना अंकित किया है तथा पार्षद वार्ड नं. 16, सीकर द्वारा जारी प्रमाण पत्र में मन्दिर की सेवा पूजा प्रार्थी श्री सुरेन्द्र गोस्वामी द्वारा करना अंकित किया है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है। अतः

आज्ञा है कि

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मन्दिर श्री गोपीनाथजी के पुजारी गोस्वामी गोपाल लाल देव की मृत्यु उपरान्त प्रार्थी सुरेन्द्र गोस्वामी पुत्र स्व. श्री महन्त गोस्वामी गोपाल लाल देव जाति गोस्वामी निवासी वार्ड नं. 16, गोपीनाथजी का मन्दिर, सुभाष चौक, सीकर जिला सीकर के नाम से संशोधित प्रपत्र 12ए जारी होकर आयुक्त, देव स्थान विभाग,उदयपुर (राजस्थान) व सम्बन्धित को प्रति भिजवाई जावे। फार्म 12ए में इस प्रकार का नोट लगाया जावे कि यह वार्षिक वृति प्राप्त करने हेतु ही मान्य होगा। राजस्व रिकार्ड में मूर्ति मन्दिर की भूमि की खातेदारी में नाम अंकन हेतु मान्य नही होगा। भूमि मूर्ति मन्दिर की खातेदारी में ही रहेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

10/1/19

(जय प्रकाश)
अति० जिला कलक्टर, सीकर

अति० जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official